

कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा), जिला-रायपुर (छ0ग0)
आदेश

कमांक/ / छै-2/विलि/2011
दिसम्बर 2011

रायपुर, दिनांक

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र कमांक/ एफ-2-116/08/सात-2 दिनांक-26/02/2010 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित भर्ती नियम एवं सेवा शर्त नियम 1972 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उनमें निहित प्रावधान के तहत निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से विद्यमान स्टेनोटायपिस्ट ग्रेड-3 का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 5200-20200/- एवं ग्रेड वेतन रूपये 1900/- प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते पर स्टेनोटायपिस्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

क.	अभ्यर्थी का नाम व पिता तथा पता
1	श्री राजेश कुमार घरडे पिता श्री ओमप्रकाश घरडे, द्वारा आर.आर. घरडे, डॉ. रोजन्द्र नगर, बौद्ध विहार के पास, रायपुर
2	कु. अंजना रात्रे पिता श्री आनंद राम रात्रे, सतनामीपारा महादेवघाट रोड, रायपुरा, रायपुर
3	श्री विपिन सिंह ठाकुर पिता स्व. श्री थान सिंह ठाकुर, नवीन विद्या के सामने, मलसाय तालाब के पास, प्रोफेसर कालोनी रायपुर
4	श्री रवि कुमार निषाद पिता श्री डी.आर. निषाद, एफ/8 दुर्गा मंदिर के पीछे, दुबे कालोनी दलदल सिवनी रायपुर (जाति कॅवट)
5	कु. प्रमिला भगत पिता श्री अर्जुन राम भगत, द्वारा श्री महेन्द्र राम भगत, 24 क्वाटर, क्वा.नं. सी/17 जी.आर.पी. कालोनी, पेंशनबाड़ा रायपुर
6	श्री भुनेश्वर सिंह पिता श्री दिलीप कुमार भण्डारी, सीआईएसएफ कालोनी, 11 एफ, 2 डी, दल्लीराजहरा, जिला दुर्ग
7	कु. उत्तरी कुमारी कंवर पिता श्री अमृत सिंह कंवर, क्वा.नं. 8/जी, सड़क नं. 15/बी, सेक्टर 2 भिलाई नगर जिला दुर्ग
8	श्री शांतनु राम बान्द्रे पिता श्री खोरबाहरा बान्द्रे, ग्राम कोटराभाटा पो. पलौद विकासखंड आरंग तहसील मंदिर हसौद जिला रायपुर
9	श्रीमती ललिता डहरिया, पति श्री धनेश्वर प्रसाद डहरिया, टी.टी.सी. कालोनी, माना कैम्प म.नं. 24/1814 पो. व थाना माना कैम्प,

	जिला रायपुर
10	कु. हास्यप्रभा अंगारे पिता श्री रुद्र कुमार अंगारे, द्वारा श्री रामचंद्र साहू, प्रज्ञा विला, शारदा विद्या मंदिर के पास, कृष्णा नगर, बोरिया रोड, रायपुर (जाति महार)
11	श्री रूपेश कुमार पिता श्री भुवन लाल, ग्राम तिलखैरी पोस्ट डंगनिया तहसील गुण्डरदेही जिला दुर्ग

नियुक्ति की शर्तें:-

- (1) उक्त नियुक्ती स्टेनोटायपिस्ट ग्रेड-3 को 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति जिला कार्यालय रायपुर में देना होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- (2) उम्मीदवार की ओर से एक माह की लिखित सूचना पर या नोटिस के एवज में एक माह का वेतन शासकीय कोषालय में जमा किया जाकर किसी भी समय सेवा से हटाया/त्यागपत्र दिया जा सकता है।
- (3) उम्मीदवार को शासन के प्रति सन्निष्ठ रहने, सेवा अवधि में मद्यपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (4) उम्मीदवार को कार्यग्रहण करने के साथ मेडिकल बोर्ड/ सिविल सर्जन द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- (5) नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि नियुक्ति उम्मीदवार शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (6) कार्यग्रहण करने के पूर्व उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रतियां तथा एक सेट प्रमाणित छाया-प्रति सहित नियुक्ति आदेश के पालन में उपस्थिति रिपोर्ट के साथ कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे।
- (7) उम्मीदवार की कक्षा 12 वीं की अंकसूची जो अपने आवेदन के साथ संलग्न किये हैं उसका सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा। यदि अंकसूची फर्जी पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर
रायपुर

पृ. क्रमांक / / छै-2 / विलि / 2011
दिसम्बर 2011
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर कलेक्टर, रायपुर / बलौदाबाजार / गरियाबंद को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायपुर
-----को सूचनार्थ।
6. सर्व संबंधित तहसीलदारों -----को
सूचनार्थ प्रेषित।
7. सर्व संबंधित श्री -----
नियुक्त स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड-3 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित
।
8. वित्त लिपिक-2, जिला कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा), जिला-रायपुर (छ0ग0)
आदेश

कमांक/ / छै-2/विलि/2011
दिसम्बर 2011

रायपुर, दिनांक

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र कमांक/ एफ-2-116/08/सात-2 दिनांक-26/02/2010 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित भर्ती नियम एवं सेवा शर्त नियम 1972 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उनमें निहित प्रावधान के तहत निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से विद्यमान भृत्य(प्रोसेस सर्वर/फर्राश/चौकीदार) का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 4750-7740 एवं ग्रेड वेतन रूपये 1300/- प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते पर भृत्य(प्रोसेस सर्वर/फर्राश/चौकीदार) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

1	रामकुमार देवांगन पिता श्री दीनाराम देवांगन निवासी सूर्या हॉटल के पीछे मूलचंद कांपलेक्स बाबा टी स्टाल बिलासपुर जिला बिलासपुर (जाति कोष्टा)
2	ताकेश्वर प्रसाद साहू पिता श्री नरोत्तम साहू निवासी- ग्राम पिपरौद, तहसील अभनपुर जिला रायपुर (जाति तेली)
3	रामलोचन साहू पिता जयराम साहू निवासी बस स्टैण्ड सूर्या हॉटल के पीछे मूलचंद कांपलेक्स बाबा टी स्टाल बिलासपुर जिला बिलासपुर (जाति तेली)
4	अनिश कुमार वर्मा पिता श्री ए.पी. वर्मा निवासी- सी.आर. नागपुरे, लक्ष्मी किराना स्टोर्स के पीछे, इंदिरा चौक, रामनगर, सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (जाति कुर्मी)
5	मनीष कुमार बारबुधे पिता श्री नामदेव निवासी- गोलबाजार, तेलीपारा, हनुमान मंदिर के पीछे रोड़, रायपुर (जाति तेली)

6	बृजमोहन नायक पिता श्री सुखनंदन नायक निवासी ग्राम खैरा पो0 पंधी तह0 बिलासपुर जिला बिलासपुर (जाति अघरिया)
7	केशो राम पिता बहुर राम निवासी सामुदायीक भवन नगर पंचायत कसडोल जिला रायपुर (जाति गोड़)
8	श्रीमती ललिता नायक पति श्री बृजमोहन नायक निवासी ग्राम खैरा पो0 पंधी तह0 बिलासपुर जिला बिलासपुर (जाति अघरिया)
9	श्रीमती पिंकी ठाकुर पिता श्री विजय सिंह ठाकुर, डॉ. विभा डायग्नोस्टिक सेंटर रविनगर, पंडरी रायपुर (जाति राजपूत क्षत्रिय)
10	कु. हेमलता पिता श्री भागवत प्रसाद, द्वारा शुकालू राम मिरी, ग्राम बावनकेरा, झलप, पो. बावनकेरा, तहसील पटेवा, महासमुंद (जाति कुर्मी)
11	कु. मेहनाज पिता स्व. श्री मोहम्मद बशीर खान, शिवमंदिर के पास, म.नं. 26/83 दुसरी गली राजातालाब रायपुर (जाति मुस्लिम)
12	कु. निर्मला देवी पिता श्री घसियाराम टण्डन, जनता क्वा.नं. ई.डब्ल्यू.सी. 38, जनता मार्केट के पास, बाफना मंगलम के पास, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पद्यनाभपुर जिला दुर्ग
13	चोवल प्रसाद शास्त्री पिता श्री रविलाल निवासी- ग्राम- मड़वा, पोस्ट मटिया व्हाया कटगी जिला रायपुर (जाति सतनामी)
14	श्री राजू कुमार पिता श्री परसराम, द्वारा दिनेश मरकाम ग्राम बरेली तहसील कसडोल जिला रायपुर (जाति मेहर)
15	कु. शीला कुमारी पिता श्री उत्तर कुमार, ग्राम व पोस्ट बारापीपर व्हाया चन्द्रपुर थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा
16	संविता महिलांग पति श्री संतोष कुमार महिलांग निवासी बघमरा तहसील बालौद जिला दुर्ग
17	श्री गजेन्द्र कुमार पिता श्री भारू राम, द्वारा मंगलूराम यादव, मु.पो. बरेली व्हाया कटगी जिला रायपुर (जाति गोड़)
18	श्री महेंद्र कुमार कंवर पिता श्री अमर लाल कंवर, ग्राम चिचिरदा, पो.आ. अहिल्दा, तह. बलौदाबाजार, रायपुर

19	श्री चितरंजन पिता श्री श्याम लाल, द्वारा खेनुराम मिरी, ग्राम असनीद, पो. छतौदाबाजार, तहसील कसडोल, रायपुर
20	कु. ईश्वरी ध्रुव पिता श्री कुमार ध्रुव, ग्राम व पोस्ट देवपुर तहसील नगरी जिला धमतरी
21	कु. भलेश्वरी पिता गजराज सिंह बघेरा वार्ड कमांक-65 जिला दुर्ग
22	श्री शकुन वर्मा पिता पुरुषोत्तम वर्मा, ग्राम व पोस्ट आफिस अहिल्दा, तहसील बलौदाबाजार, रायपुर (जाति कुर्मी)
23	श्री बलराम साहू पिता स्व.श्री सुखी राम साहू, जी.ई.रोड, जय जवान पेट्रोल पम्प के सामने, मदिना मस्जिद के पिछे, क.नं. आई 34, आनंद नगर, रायपुर (जाति तेली)
24	कु. मंजुलता पिता श्री मोतीराम, द्वारा राजाराम रात्रे, ग्रा व पोस्ट गडबेढहा विकासखंड पिथौरा जिला महासमुंद
25	राकेश कुमार पाण्डेय पिता श्री शंकर पाण्डेय निवासी-से.-7 भिलाई जिला दुर्ग (ब्राम्हण)
26	श्री घनश्याम सिंह निषाद पिता श्री सखाराम, जी-301, आडीए कालोनी, बोरियाखुर्द रायपुर (जाति केंवट)
27	श्री के.एल. जेकब पिता स्व. श्री के.एल. मरियन्ना, शॉप नं. 36 सी मार्केट से-1 भिलाई जिला दुर्ग (जाति मारिया)
28	श्री राकेश साहू पिता श्री जे.आर.साहू, ग्राम बरगाही, पो. उपरवाह, थाना धुमका, तहसील व जिला राजनांदगांव

नियुक्ति की शर्तें:-

(1) उक्त नियुक्त भृत्य को 15 दिवस के भीतर जिला कार्यालय रायपुर में कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

- (2) उम्मीदवार की ओर से एक माह की लिखित सूचना पर या नोटिस के एवज में एक माह का वेतन शासकीय कोषालय में जमा किया जाकर किसी भी समय सेवा से हटाया/त्यागपत्र दिया जा सकता है।
- (3) उम्मीदवार को शासन के प्रति सन्निष्ठ रहने, सेवा अवधि में मद्यपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (4) उम्मीदवार को कार्यग्रहण करने के साथ मेडिकल बोर्ड/ सिविल सर्जन द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि नियुक्ति उम्मीदवार शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (6) कार्यग्रहण करने के पूर्व उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रतियां तथा एक सेट प्रमाणित छाया-प्रति सहित नियुक्ति आदेश के पालन में उपस्थिति रिपोर्ट के साथ कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे।
- (7) उम्मीदवार की कक्षा 5 वीं की अंकसूची जो अपने आवेदन के साथ संलग्न किये हैं उसका सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा। यदि अंकसूची फर्जी पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर
रायपुर

पृ. क्रमांक / / छै-2 / विलि / 2011
दिसम्बर 2011

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

- 4- अपर कलेक्टर, रायपुर/बलौदाबाजार/गरियाबंद को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 5- सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायपुर -----को सूचनार्थ।
- 6- सर्व संबंधित तहसीलदारों -----को सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- सर्व संबंधित श्री -----
नियुक्त भृत्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8- वित्त लिपिक-2, जिला कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
रायपुर